पंजीकरण पुस्तिका
2021

पंजीकरण
08 नवम्बर, 2021 से
08 दिसम्बर, 2021 तक

स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत परिषद की
शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में 128 नग एफ-45 (जी+3)
प्रकार के भवनों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ436547

Website-www.up-rera.in

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards SQMS

परियोजना से संबंधित घोषणायें।

- परियोजना स्थल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित शाकुम्भरी विहार योजना जनपद सहारनपुर हेतु विधिवत् अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

विशेष आकर्षण

- **शाकुम्भरी विहार योजना, जनपद सहारनपुर में 60.00 मीटर चौड़ी दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, जो कि 4 लेन का स्वीकृत हो चुका है।**
- **सहारनपुर के पहले मल्टी स्पैशिलिटी हॉस्पिटल से मात्र 2.00 किमी0 की दूरी पर।**
- **शाकुम्भरी विहार योजना में ही स्थित मण्डी समिति के मल्टीप्लैक्स से 50.00 मीटर की दूरी पर।**
- **मुख्य अभियंता विद्युत/वाणिज्य कर विभाग कार्यालय (नवनिर्मित) मात्र 500.00 मीटर की दूरी पर।**
- **मण्डलायुक्त/कलैक्ट्रेट/सिविल कोर्ट से दूरी लगभग 3.00 किमी।**
- **जी0एन0जी0 मॉल/एस0आर0एस0 सिनेमा के ठीक सामने।**
- **रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से मात्र 3.50 किलोमीटर की दूरी पर।**
- **शाकुम्भरी देवी शक्ति पीठ मन्दिर से 40 किलोमीटर दूरी पर।**
- **बाउण्ड्रीवाल तथा गेट का प्राविधान।**
- **स्वतंत्र पार्क व पार्किंग का प्राविधान।**
- **भूकम्प अवरोधी संरचना का प्राविधान।**
- **जन यातायात की सुविधा।**
- **शुद्ध पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था।**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उदेद्श्य से किया गया था।

उदेद्श्य –

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) परिषद की विभिन्न योजनाओं के विक्रय हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड विकसित करना तथा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगो के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उदेद्श्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नालाजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे– विद्युत–आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराता है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदको के मध्य परिषद विनियमावली मे उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जाता है।

House Design F-45
Front Elevation

House Design F-45
Side Elevation

Unit Plan-F-45

UNIT AREA = 40.15 SQ.M. (INCLD. HALF BALCONY)
CIRCULATION AREA = 19.28 SQ.M. / 4= 4.82 SQ.M.
SUPER AREA = 44.97 SQ.M.

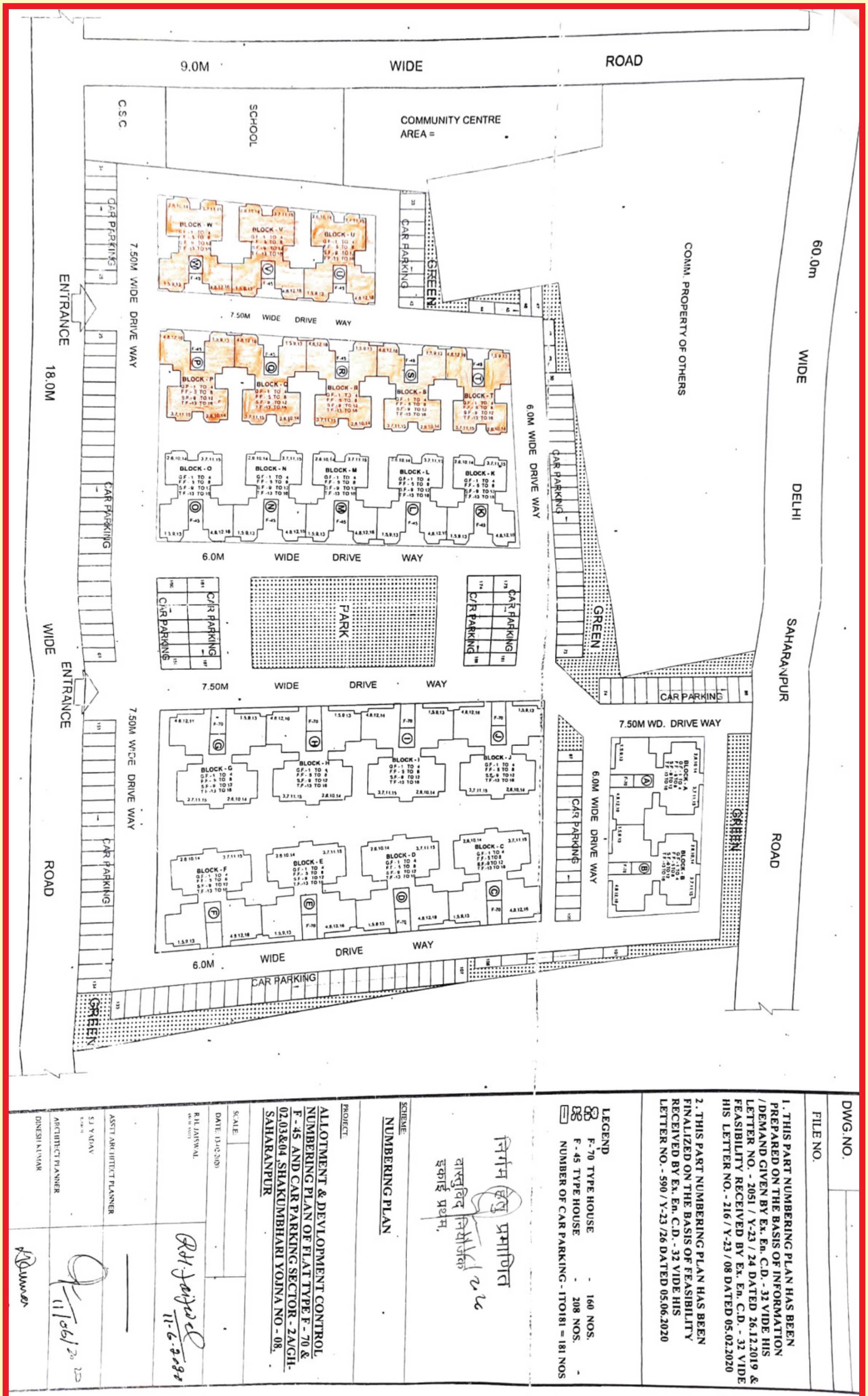

9.0M WIDE ROAD
C.S.C
SCHOOL
COMMUNITY CENTRE AREA =
60.0m WIDE DELHI SAHARANPUR ROAD
COMM. PROPERTY OF OTHERS
18.0M WIDE ROAD
ENTRANCE
7.50M WIDE DRIVE WAY
6.0M WIDE DRIVE WAY
7.50M WD. DRIVE WAY
CAR PARKING
GREEN
PARK
BLOCK - A
BLOCK - B
BLOCK - C
BLOCK - D
BLOCK - E
BLOCK - F
BLOCK - G
BLOCK - H
BLOCK - I
BLOCK - J
BLOCK - K
BLOCK - L
BLOCK - M
BLOCK - N
BLOCK - O
BLOCK - P
BLOCK - Q
BLOCK - R
BLOCK - S
BLOCK - T
BLOCK - U
BLOCK - V
BLOCK - W
DWG.NO.
FILE NO.
1. THIS PART NUMBERING PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF INFORMATION / DEMAND GIVEN BY Ex. En. C.D. - 32 VIDE HIS LETTER NO. - 2051 / Y-23 / 24 DATED 26.12.2019 & FEASIBILITY RECEIVED BY Ex. En. C.D. - 32 VIDE HIS LETTER NO. - 216 / Y-23 / 08 DATED 05.02.2020
2. THIS PART NUMBERING PLAN HAS BEEN FINALIZED ON THE BASIS OF FEASIBILITY RECEIVED BY Ex. En. C.D. - 32 VIDE HIS LETTER NO. - 590 / Y-23 /26 DATED 05.06.2020
LEGEND
F - 70 TYPE HOUSE - 160 NOS.
F - 45 TYPE HOUSE - 208 NOS.
NUMBER OF CAR PARKING - 1TO181 = 181 NOS
निर्माण हेतु प्रमाणित
वास्तुविद नियोजक
इकाई प्रथम
SCHEME
NUMBERING PLAN
PROJECT
ALLOTMENT & DEVELOPMENT CONTROL NUMBERING PLAN OF FLAT TYPE F - 70 & F - 45 AND CAR PARKING SECTOR - 2A/GH-02,03&04 SHAKUMBHARI YOJNA NO - 08, SAHARANPUR
SCALE
DATE 13-02-2020
R.H. JAISWAL
ASSTT. ARCHITECT PLANNER
S.J. YADAV
ARCHITECT PLANNER
DINESH KUMAR

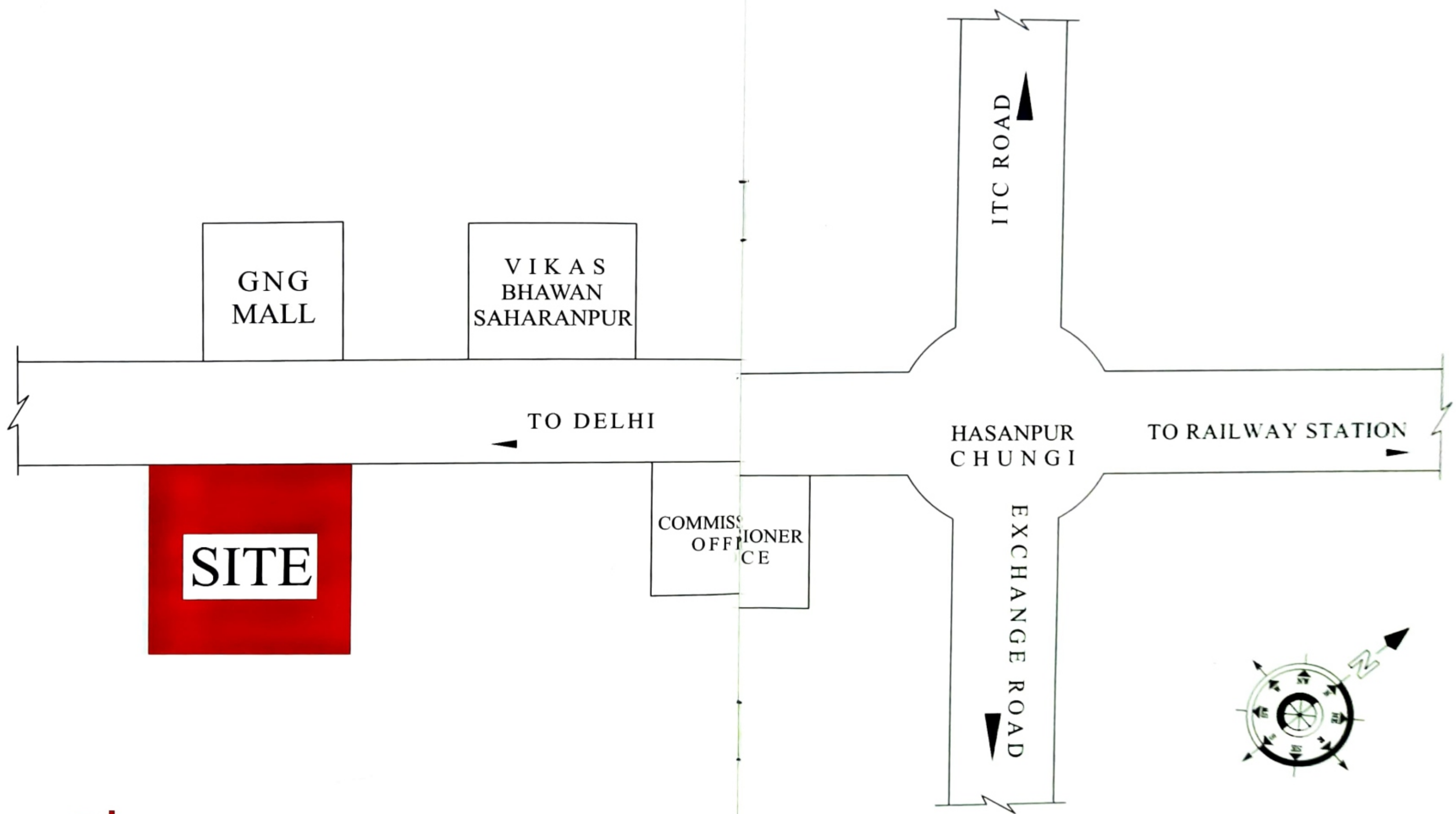
GNG MALL
VIKAS BHAWAN SAHARANPUR
TO DELHI
SITE
COMMISSIONER OFFICE
ITC ROAD
HASANPUR CHUNGI
TO RAILWAY STATION
EXCHANGE ROAD
N

Key Plan

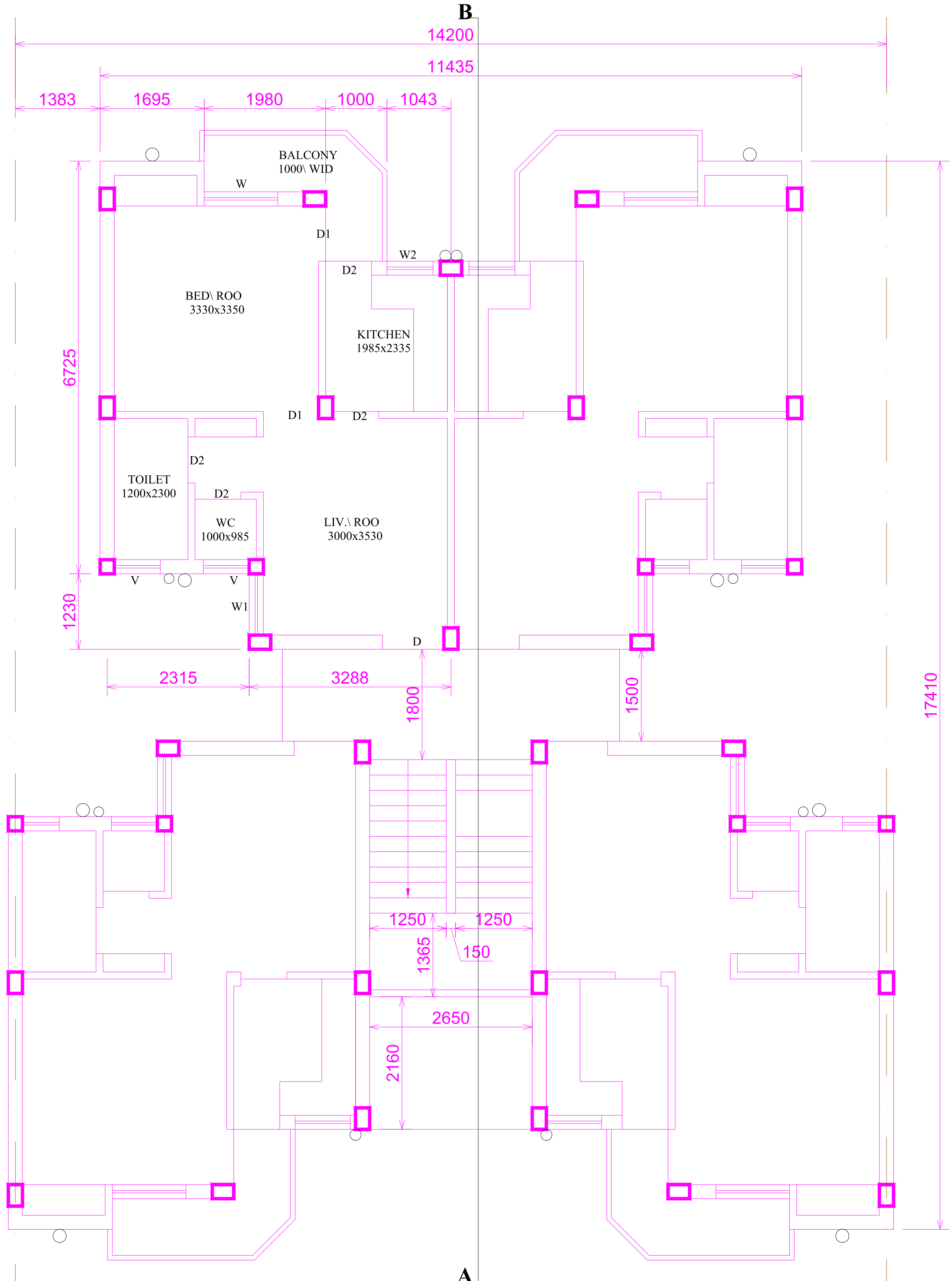

TYPICAL\ FLOOR\ PL

परिषद की शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में एफ–45 जी+3 प्रकार के 128 नग स्व–वित्त पोषित भवनों का निर्माण।

जनपद सहारनपुर

रेरा पंजीकरण संख्या–UPRERAPRJ436547 128 नग

रेरा वेबसाइट–**up-rera.in**

(अ) परियोजना की अनुमानित लागत रु0 2960.00 लाख

(ब) परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि 06.08.2021

(स) परियोजना पूर्ण होने की तिथि 05.08.2025

(द) परियोजना में फ्लैट/भवन आवंटन/कब्जा की प्रस्तावित तिथि 05.08.2025

फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग मी0)	सुपर एरिया क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अनुमानित मूल्य (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 लाख में)		चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि के समायोजन उपरान्त भवन में समाहित भूमि मूल्य + प्रथम किश्त की अनुमानित धनराशि जो मांग पत्र निर्गत होने के 30 दिन में जमा करनी होगी। (रु0 लाख में)		अवशेष अनुमानित कुल धनराशि जो 7 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। (रु0 लाख में)
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर	एफ–45 प्रकार के जी+3 स्व वित्त पोषित भवन।	128	G.F. 33.60 F.F. 33.60 S.F. 33.60 T.F. 33.6 0	44.975 44.975 44.975 44.975	25.14 22.72 22.45 22.18	1.26	0.63	13.72	14.35	नम्बरिंग के उपरान्त तल के अनुसार अवशेष आगणित कुल धनराशि 7 त्रैमासिक किश्तो मे देय होगी।

फ्लैटस का विवरण :–

- 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्जेज अतिरिक्त नियमानुसार अलग से देय होगा।
- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के नाम जो सहारनपुर शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।
- सम्पत्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अनुमानित मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
- भवन के मूल्य पर नियमानुसार देय जी0एस0टी0 का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित कर यथा गृहकर, जलकर आदि व अन्य शुल्क का भुगतान आवंटी को स्वयं करना होगा।

<table>
<tr><th colspan="2">भवनों की विशिष्टियों का विवरण</th></tr>
<tr><th>फ्लैटस के निर्माण की पद्धति</th><th>शियरवाल / फ्रेम स्ट्रक्चरल</th></tr>
<tr><td>1. कॉलम एवं समस्त आर0सी0सी0 का कार्य1:1½:3 सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड तथा 20 एम0एम0 स्टोन ग्रिट कंक्रीट।
2. सीमेन्ट आई0एस0आई0मार्क।
3. प्रबलन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला स्टील एफ0ई0 500
4. समस्त भवन फ्रेम स्ट्रक्चर।
5. चिनाई का कार्य 1 :6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैन्ड में , 0.115 एम0एम0 मोटी दीवार में चिनाई का कार्य 1:4 सीमेन्ट एवं कोर्स सैन्ड में।
6. बाह्य एवं आन्तरिक प्लास्टर 1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैन्ड में।
7. फर्श का कार्य विट्रीफाईड टाईल्स में।
8. कॉमन एरिया कोटा स्टोन में।
9. आन्तरिक फिनिशिंग ऑइल बाउण्ड डिस्टैम्पर।
10. जलापूर्ति कार्य हेतु सी0पी0वी0सी0 पाईप।
11. वेदर कोट फिनिशिंग।
12. बाथरूम फिटिंग आई0एस0आई0 मार्क।
13. आन्तरिक विद्युतीकरण। कॉपर वायरिंग।
14. छत पर ब्रिक कोबा का कार्य।</td><td>फ्रेम स्ट्रक्चरल</td></tr>
</table>

CARPET AREA

Ground Floor	33.60 sqm
First Floor	33.60 sqm
Second Floor	33.60 sqm
Third Floor	33.60 sqm

नोट :–

- तालिका में दर्शाई गई भवनों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को एस0बी0आई0 द्वारा प्रभावी MCLR 7.95%+1%= 8.95% say 9.00% के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्ते जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि से परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। "Force Majure" की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
- भवन के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। इस सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य न होगा।
- प्रत्येक आवंटी को वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु रू0 5500.00 अतिरिक्त देना होगा। आवंटन/मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रू0 354.00 अनुबन्ध हेतु एवं रू0 120.00 प्रति साईट प्लान हेतु अतिरिक्त देना होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी को देनी होगी।
- भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- नगर पालिका/स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकल आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

प्राविधान / शर्तें

1– सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों, यथा फ्लैटस निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि, श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भव है। फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है।

2– फ्लैटस की टाईप डिजाइन व ले–आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

3– रेरा अधिनियम की धारा–2ए की उपधारा–(iii) open parking areas को सामान्य क्षेत्र में

सम्मिलित किया गया। आवास आयुक्त महोदय के आदेश सं0– 180/रेरा प्रकोष्ठ/31 दिनांक 11.01.2019 एवं परियोजना के अन्तर्गत open parking areas का विक्रय नहीं किया जायेगा।

4– फलैटस का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि 02 वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कार्पेस फण्ड में फलैट के विक्रय मूल्य का 02 प्रतिशत भौतिक कब्जे से पूर्व देय होगा। इनक्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जे की तिथि से 02 वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवटियों की उपरोक्त कार्पेस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवटियों की वैलफेयर सोसायइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति को अनुरक्षण अपने श्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वैलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

5– परिषद का रख–रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है इसके उपरान्त रैजीडेन्टस वैलफेयर सोसाइटी द्वारा रख–रखाव किया जायेगा।

6– सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सिक्योरिटी गार्ड, टयूबवेल ऑपरेशन, की देख–रेख, सफाई व्यवस्था, विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त की तिथि से 02 वर्ष तक रू0 10/– प्रति वर्ग मी0 प्रति माह की दर से रख–रखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा जिसे बाद मे परिषद/ सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।

7– भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

8– पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी।

9– पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधान लागू होंगे।

1–भुगतान का तरीका

1.1 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

1.2 सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय धनराशि बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में आनलाइन जमा की जा सकेगी।

1.3 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को एस0बी0आई0 द्वारा प्रभावी ब्याज दर MCLR 7.95%+1%=8.95% say 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

1.4 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/RTGS/NEFT एवं आनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहारनपुर"/UPAVP Saharanpur के नाम से देय हो, के पक्ष

में होना चाहिये। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

2. आवंटन नियम

2.1 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथा सम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2.2 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वैबसाईट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई–मेल emosrn@upavp.com से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षणोपरांत उसका निराकरण सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2.3 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकृत आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

2.4 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना सूची परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

2.5 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

2.6 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर यथासम्भव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

2.7 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लघंन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।

2.8 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार की जायेगी।

2.9 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रा/आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

2.10 शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

3– पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.3 फ्लैट के आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भवन के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहाँ आवासीय भवन क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

4. आफलाइन पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।

4.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.5 आवासीय सम्पत्ति हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा मांग पत्र/आवंटन पत्र (जो भी पहले हो) के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20.00 प्रतिशत अथवा तीन माह बाद आवेदन करने पर 50.00 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि NEFT/RTGS द्वारा आवेदक को वापस कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति आगामी आवंटन में लगा दी जायेगी। इन शर्तों का उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जायेगा।

4.6 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी।

4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में

एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार देय होगा।

4.9 फ्लैटस निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू–सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. आनलाइन पंजीकरण के नियम

5.1 आनलाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Home Page) के लिंक "Online Registration For Houses Saharanpur" पर क्लिक करना होगा।

5.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक "Houses at Saharanpur" पर क्लिक करना होगा।

5.3 आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना/ भवन की समस्त जानकारियां भली–भांति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।

5.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिये संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

5.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुये जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

5.6 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20.00 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पात्रता चयन से तीन माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50.00 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

5.7 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

5.8 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के NEFT/RTGS के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

5.9 आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित औपरारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

6. आरक्षण :

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	---------तदैव---------
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	---------तदैव---------
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेन्शन पेपर का प्रमाण–पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः– उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

6.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

6.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

7– असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

7.1 लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि यथासंभव एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS / NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

8– –फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

8.1 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित / पंजीकृत कराना होगा।

8.2 फ्लैट्स के भौतिक कब्जे की प्रस्तावित तिथि 05.08.2025 है।

8.3 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

8.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपरारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क नियमानुसार प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।

8.5 कब्जा प्राप्त करने की तिथि से नियमानुसार जल शुल्क / यूजर चार्ज आवंटी द्वारा देय होगा।

8.6 प्राकृतिक आपदा / अपरिहार्य कारणोंवश व्यवधान होने की स्थिति में पूर्णता तिथि रेरा की अनुमति से बढ़ाई जा सकेगी, जो आवंटियों पर प्रभावी होगी।

9– तथ्यों को छिपाना

9.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की बयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

10–अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

10.1 विषयगत योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। शर्तों का उल्लघंन किए जाने पर विक्रय–विलेख एवं आवंटन / पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

10.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूर्ण करता हो।

10.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, संबंधित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

10.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

10.5 किसी भी सम–सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

11. आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

11.1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले/नीले पेन से भरा जाये।

11.2 आवेदन पत्र में नाम हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।

11.3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं।

11.4 आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसेः 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

11.5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किए जायें कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।

11.6 एक (BLOCK) में एक वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

11.7 नाम अथवा पता भरते समय दो भाब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जाये।

11.8 आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX)कॉलम में पुरूष हेतु ('M') एवं महिला हेतु ('F') भरे। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु ('HW') भरें।

11.9 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिये कोड की सूची (आरक्षण–कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित (सामान्य वर्ग)	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

नोट–आरक्षण वर्ग के आवेदकों का, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आफलाइन/आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी	दूरभाष सं0
1	इण्डसण्ड बैंक, अपर ग्राउन्ड, प्रथम तल, प्लाट सं0–2 एम स्क्वायर, वसंत विहार, दिल्ली रोड, सहारनपुर।	मुख्य शाखा प्रबन्धक	9149381068
		श्री पार्थ श्रीवास्तव	8840552584

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये है, जहाँ–जहाँ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखत अर्थ होंगे:–

आवेदक का परिवार:–

इसमें स्वयं आवेदक / इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी / पति तथा आवश्यक बच्चे सम्मिलित हैं।

भूखण्ड:–

भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति:–

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित / निर्मित आवासीय भूखण्ड / भवन से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर:–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:–

उ0प्र0 राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत, एसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों, से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या वीरगति प्राप्त की हों।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:–

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित/आदेशान्र्तगत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्यः—

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :—

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्यः—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :—

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों, जिनकी दो वर्ष सेवा अवधि पूरी हो।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य—

उत्तर प्रदेश भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

MCLR +1% का तात्पर्यः—

दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस.बी.आई. की MCLR से ब्याज की गणना की जायेगी।

Marginal cost of funds based lending rate is in simple words- Fix the interest rate on floating rate Loans -

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

श्री सुनील कुमार शर्मा
सम्पत्ति प्रबंधक
सहारनपुर
मो0नं0 6390900133

इं0 एम.बी. कौशिक
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड—04, सहारनपुर
मो0नं0 9818214196

इं. राजीव कुमार
अधीक्षण अभियंता
मेरठ
मो0नं0 8588877002

सुश्री शेरी
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो0नं0: 8795810007

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड	शहर	कोड
अनुसूचित जाति	01	सहारनपुर	S
अनुसूचित जन जाति	02		
अन्य पिछड़ा वर्ग	03		
अनारक्षित (सामान्य वर्ग)	04		

हारिजेन्टल आरक्षण कोड

		विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
		सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
लिंग	कोड		
स्त्री	F	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
पुरूष	M		
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW		
भुगतान	कोड	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
नगद	01	वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
किश्त	02	समपत्ति का प्रकार	फ्लैट

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्षः-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

मै श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी............................उम्र .... निवासी .... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि:–

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूंगा/दूंगी।
4. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी कुल आय वार्षिक (रु.................) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे/मेरी .... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती .... जो मेरे /मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
6. मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद् को दिया है तो परिषद् को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000/–(रूपये एक हजार) जी0एस0टी0 सहित आनलाइन जमा करना होगा।
- आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक Saharanpur पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैटस की समस्त जानकारियों को भली–भांति पढकर 'Apply Online' लिंक कर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Information) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण भ्शुल्क के भुगतान का प्रकार एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन–लाईन अपलोड/फीड किये जायेंगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आनलाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई–रसीद लिंक (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–

आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशो का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीः–

- ❖ Visit website www. upavp.in & click on line “Online Registration of Flats”
- ❖ Click on link “Registration Fee Payment' of concerning scheme's webpage.
- ❖ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID then click on 'Submit' button.
- ❖ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ❖ After clicking on 'Confirm button'.........................BANK MOPS* will be available.
- ❖ Applicant can choose anyone option for making payment.

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए

जन–सुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें:–

1800–180–5333 (टोल फ्री)

0522–2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

हमारा यही प्रयास - आपका अपना आवास

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी हेतु परिषद के

टॉल फ्री नं.1800-180-533 दूरभाष 0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 1000/- (जी.एस.टी. सहित)